

फर्द अहकाम

पन्नालाल बनाम मीना देवी

इजला 14/18

दिनांक और कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/11/20	पत्रावली पत्र हटाने के लिए न्यायाधीश साहब अन्य सचिव को पत्रावली पत्र हटाने का आदेश दिया है। अतः पत्रावली पत्र हटाने की प्रतीति दिनांक 16/11/20 को प्रेषित की।	
16/11/20	पत्रावली पत्र हटाने के लिए न्यायाधीश साहब अन्य सचिव को पत्रावली पत्र हटाने का आदेश दिया है। अतः पत्रावली पत्र हटाने की प्रतीति दिनांक 26/11/20 को प्रेषित की।	
19.2.20	तहसीलदार सांगर के फतवा नं. 12/2019/240 दिनांक 13.1.20 के हस्त लिख की प्रतिका के नाम पर करण 2338 दिनांक 24-10-18 स्वीकृत होने पर पत्र के माध्यम से पत्रावली पत्र हटाने की प्रतीति प्रेषित की गई है। नामक लिख की प्रतिका के हस्त लिख को हटाने के लिए न्यायाधीश साहब को पत्रावली पत्र हटाने का आदेश दिया है। अतः पत्रावली पत्र हटाने की प्रतीति दिनांक 19.2.20 को प्रेषित की गई है।	

